



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1410) पटना, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025

सं० 21/ आयोग-02/2018,सा.प्र.-15568
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 अगस्त 2025

विषय— राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के लिए आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों से संबंधित रिक्तियों के लिए विभागीय अध्याचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) द्वारा प्रतियोगिता-परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में पुरुष अभ्यर्थियों के साथ महिला अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन पत्र समर्पित किये जाते हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं में शिक्षा के प्रसार एवं राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। यह भी विचार किया गया है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता-परीक्षाओं में इन अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क को कम किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

3 अतः सम्यक् विचारोपरांत परीक्षा शुल्क के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी प्रावधानों को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) हेतु परीक्षा-शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र रु. 100/- (एक सौ रुपये) निर्धारित किया जाता है। साथ ही, इस परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आदि के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. कंडिका-3 का निर्णय मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.08.2025 को आयोजित बैठक में मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृत है।

5. बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि में "आदि" से तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन सभी चयन एजेंसी से है।

आदेश- यह आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1410-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>